

(4)

प्रतिवेदन

कार्य का नाम:-

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में हनुमानचट्टी से पिडकी मदेश मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

उक्त के क्रम में अनु सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या शासनादेश संख्या 2195/111(2)/13-14 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक 22.3.2013 द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

उन्नत कृषि भूमि के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरो की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे वही सरकार की विकास योजनाओं भी सुगमता से संचालित हो सकेगी, तथा यमुनोत्री क्षेत्र हेतु वेकल्पिक मार्ग के रूप में भी इस मार्ग का प्रयाग हो सकेगा, एवं स्थानीय जनता की यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
बड़कोट उत्तरकाशी